

24/12/19

पत्रावली देखा हुई। आवेदक ज्वं वकील
 आवेदक अनुपस्थित। बार-बार-रुक
 रुक कर आवेदक को लगेवाई गई परन्तु
 आवेदक को आवेदक उपस्थित ना ही कार्यवाही
 उपस्थित नहीं होने से ज्वं वकील को
 कि आवेदक को प्रकरण में रुकिये नहीं है।
 उक्त प्रकरण को ठीक से देखी ज्वं भेदना
 पेशी में खारिज किया जाता है पत्रावली
 प्रकरण सुमार डीकर दर्ज नम्बर से कम
 है तथा बाद लक्ष्मील जाहा दाखिल
 दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया। 24-12-19

M. L. Sharma
 उपसुपड अधिकारी
 नरसिंहपुर

